न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती जोकम कंवर पुत्री श्री धरमसिंह, पत्नि श्री महेन्द्रसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल, हाल निवासी- गोयली, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही
2. दौलतसिंह पुत्र श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
3. किशोरसिंह पुत्र श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
4. उदयसिंह पुत्र श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
5. अभयसिंह पुत्र श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
6. दीवान कुंवर पत्नि श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तहसील-सिरोही
7. उम्मेदसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
8. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
9. प्रेमसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला--सिरोही
10. गजेसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
11. गुलाबकंवर पुत्री श्री नरपतसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. व जिला-सिरोही
12. दीवान कंवर पुत्री श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह.व जिला-सिरोही
13. सोवन कंवर पुत्री श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह.व जिला-सिरोही
14. श्रीमती पूर्ण कंवर पत्नि श्री धरमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल, तह. सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 01/2018

''अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 व 11 से 14 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 13 जून, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2533 दिनांक 14.1.2008 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 व 11 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 8 से 10 को

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 8 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 व 11 से 14 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल, तहसील व जिला- सिरोही में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि व सिंचाई हेतु कृषि कुआं आया हुआ है जिसके नवीन खाता संख्या 376 है एवं खसरा संख्या 458 रकबा 1.3600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 509/1918 रकबा 1.0600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1777 रकबा 1.8900 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.3100 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व 12, 13 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या-14 के पति तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 से 10 के ससुर/दादा श्री धरमा उर्फ धरमसिंह पुत्र चमनसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी-जावाल के नाम से बतौर खातेदारी की दर्ज थी। उक्त श्री धरमा उर्फ धरमसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2533 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 14.1.2008 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण उक्त श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल के सभी विधिक उत्तराकारियों पक्ष में दायर होकर स्वीकृत नही हुआ है, केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थी भी उक्त श्री धरमा उर्फ धरमसिंह जी पुत्र चमनसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की पुत्री होने व प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपीलार्थी का नाम भी उक्त नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त श्री धरमा उर्फ धरमसिंह जी पुत्र चमनसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 के पक्ष में ही दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। प्रश्नगत नामान्तरकरण के पुस्त भाग पर उक्त श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल का जो पेढी पत्रक अंकित किया है, वह भी त्रुटिपूर्ण व गलत है। उक्त पेढी पत्रक में भी अपीलार्थी का नाम अंकित नही किया है, जबकि अपीलार्थी भी उक्त श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- जावाल की जायन्दा पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी अपीलार्थी उक्त श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उक्त कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि दिनांक 20.12.2017 को अपीलार्थी ने अपने पिता की उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि के विधिक वारिसान की हैसियत से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी, जावाल से सम्पर्क किया तो अपीलार्थी को जानकारी हुई कि अपीलार्थी के पिता श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद उक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही हुआ है, तब अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत की है, इसलिये विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही को उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम भी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 व 11 से 14 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल की मृत्यु के बाद उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में दायर होकर स्वीकृत हुए उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 2533 दिनांक 14.1.2008 में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किया गया है। जबकि अपीलार्थी भी उक्त श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जावाल की पुत्री है। अतः अपीलार्थी जोकम कंवर का उक्त कृषि भूमि में नाम दर्ज होता है तो को कोई आपत्ति नही है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के वर्तमान खसरा संख्या 458 रकबा 1.3600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 509/1918 रकबा 1.0600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1777 रकबा 1.8900 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 4.3100 हेक्टेयर भूमि के खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार श्री धरमा पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 14 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2533 दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 14.1.2008 को स्वीकृत किया गया है, जिसको निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.1.2018 को प्रस्तुत की गई है।

जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 20.12.2017 को अपीलार्थी ने अपने स्वर्गीय पिंता की पुश्तैनी भूमि के विधिक वारिसान की हैसियत से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी, जावाल से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उसका नाम संबंधित राजस्व खाता में दर्ज नही है, तब अपीलार्थी ने राजस्व खाता संख्या 376 व नामान्तरकरण संख्या 2533 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का न तो जवाब प्रस्तुत किया है एवं न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज नही होने की जानकारी पूर्व से हो। ऐसी स्थिति

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार श्री धरमा पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 14 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2533 दायर किया गया जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 14.1.2008 को स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 3 सं 7 व 11 से 14 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया है कि स्व. श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह, जाति- राजपूत, निवपासी- जावाल की जायन्दा पुत्री अपीलार्थी जोकम कंवर भी है, जिसका नाम उत्तराधिकार के नामान्तरकरण में दर्ज नही हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की मृत्यु के बाद उसकी उक्त कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के दर्ज नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थी भी मृतक खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल की पुत्री है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही को मृतक खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2533 दिनांक 14.1.2008 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री धरमा उर्फ श्री धरमसिंह पुत्र श्री चमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- जावाल के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

13.06.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही